न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 01 / 2020

1 नाथी देवी पत्नी सुरजा।
2 ग्यारसीलाल पुत्र सुरजा समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी गंगाराम की तन साठियावास तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नाथूराम पुत्र बोदूराम जाति माली निवासी ढ़ाणी गंगाराम की तन साठियावास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2 उप पंजियक खण्डेला।
3 पटवार हल्का गुरारा।
4 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकदमा नम्बर 57 / 2017 उनवानी नाथी देवी आदि बनाम नाथुराम आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांकित 06.12.2019।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 02/2020

1 ग्यारसीलाल पुत्र सुरजा।
2 नाथी देवी पत्नी सुरजा समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी गंगाराम की तन साठियावास तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नाथूराम पुत्र बोदूराम।
2 पीटू सैनी पुत्र ग्यारसीलाल।
3 हीरा देवी पत्नी ग्यारसीलाल जाति माली निवासी ढ़ाणी गंगाराम की तन साठियावास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
4 पटवार हल्का गुरारा।
5 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकदमा नम्बर 60/2017 उनवानी नाथुराम आदि बनाम ग्यारसी देवी आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांकि 06.12.2019।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री जगराम कुड़ी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 31.03.2022—

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 57/2017 एवं 60/2017 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा ग्राम साठियावास तहसील खण्डेला की भूमि खसरा नम्बर 325/2 के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा के पृथक—पृथक आवेदन प्रस्तुत किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त विचाराधीन निर्णयों से अपीलांट नाथी देवी का आवेदन खारिज किया गया है एंव रेस्पोडेंट नाथु का आवेदन स्वीकार किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 325 में से 0.50 हैक्टेयर भूमि का बेचान दिनांक 09.04.2001 को नाथुराम को किया गया था। पंजिकृत विक्रय पत्र के अन्त में पुनश्च पर विक्रीत भूमि की सीमाये दर्शायी गई है। क्रेता ने राजस्व कर्मचारियों से साजिश कर सम्पूर्ण भूमि की सड़क की तरफ की भूमि अपने नाम करवा ली है जबकि मौके पर विक्रय पत्र के अनुसार काबिज है। पुलिस कार्यवाही में भी नक्शे में अपीलांट के मकानात दिखाये गये है। पक्षकारों के हक हकुक का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय विचारण न्यायालय में वाद में किया जाना शेष है। इससे पूर्व एक पक्षकार का भूमि विशेष पर कब्जा मानते हुये उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि सम्मत नही है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विक्रय पत्र में अंकित सीमाओं के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में तरमीम की गई है। इस कथन को आवेदनकर्ता अपीलांट ने अपने आवेदन में स्वीकार भी किया है। अपीलांट अपने कथनों से पाबन्द है। रेस्पोडेंट के कथनों की ताईद पुलिस के नक्शा मौका से होती है। अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल में इसका कोई विरोध नही किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 325 में से 0.50 हैक्टेयर भूमि का बेचान दिनांक 09.04.2001 को नाथुराम को किया गया था। पंजिकृत विक्रय पत्र के अन्त में पुनश्च पर विक्रीत भूमि की सीमाये दर्शायी गई है। अपीलांट का कथन है कि क्रेता ने राजस्व कर्मचारियों से साजिश कर सम्पूर्ण भूमि की सड़क की तरफ की भूमि अपने नाम करवा ली है जबकि मौके पर विक्रय पत्र के अनुसार काबिज है। पुलिस कार्यवाही में भी नक्शे में अपीलांट के मकानात दिखाये गये है। पक्षकारों के हक हकुक का निर्णय विचारण न्यायालय में वाद में किया जाना शेष है। इससे पूर्व एक पक्षकार का भूमि विशेष पर कब्जा मानते हुये उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि सम्मत नही है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

बिना विचाराधीन निर्णय पारित किये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य मूल खसरा नम्बर 325 से बने बट्टा नम्बर 325/1 व 325/2 की तरमीम को लेकर विवाद है। इस विवाद का निस्तारण मूल वाद में होना है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निर्णय तक खसरा नम्बर 325/1 व 325/2 दोनो के संन्दर्भ में यथास्थिति का स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन दोनों निर्णय अपास्त किये जाते है एवं न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि खसरा नम्बर 325/1 व 325/2 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर